

प्रश्न सं. [क. 3077]

ता. 16/8/2013

आदेश नं. 3077



मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड,

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अंतर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताल. केम्पल, नगर ताजुल मसजिद, भोपाल, फोन : 0755-2543175, 2737341
E-mail: mp_waqfboard@rediffmail.com, ceo@mpwaqf.gov.in, Website: mpwaqfboard.org

नं. अ. कमाक 193/1

भोपाल, दिनांक 31/08/2013

// आदेश //

फर्रुखाना गांव अकबरपुर तहसील हुजूर जिला भोपाल के पंजीयन हेतु कार्यपालन अधिकारी औकाफ आम्ना भोपाल द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर चुका संपत्ति के पंजीयन हेतु वक्फ अधिनियम 1995 की धारा-36 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है। इस प्रकार वक्फ संबंधित आवेदन अभिलेख से प्रमाणित है कि निम्न संपत्ति जिसका पंजीयन वक्फ पंजी के अनुक्रमक 766 पर वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 41 के तहत कर लिया गया है।

वक्फ सम्पत्ति का विवरण

नाम

संपत्ति जिराकी प्रवृष्टि वक्फ पंजी में की गई

फर्रुखाना गांव अकबरपुर
तहसील हुजूर जिला भोपाल

खसरा नंबर 112 रकबा 0.620 हैक्ट

अतः सर्वसंबंधित को सूचित किया जावे।

(एस.यू. सीयद)

रा.प्र.सं.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

नतिलिपि-

1. कलेक्टर महोदय, भोपाल जिला भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल को सूचनार्थ।
3. आयुक्त नगर निगम भोपाल को सूचनार्थ।
4. कार्यपालन अधिकारी औकाफ आम्ना के आवेदन दिनांक 01-04-2013 के संदर्भ में सूचनार्थ।
5. शाखा आडिट भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. शाखा आई.टी. सेल को कंप्यूटर रिकार्ड हेतु संलग्न पंजीयन एवं स्वसरे की छाया प्रतियां।

म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल